GST Hindi update on Payment of Pre-deposit regarding appeal through Electronic Cash Ledger

हम यहाँ इस update में इस विषय पर चर्चा करेंगे की क्या किसी अपील फाइल करने से पहले दिया जाने वाला Pre -deposit का payment हम Electronic Credit Ledger से कर सकते हैं या फिर हमें उसके लिए Electronic Cash Ledger से ही payment करना अनिवार्य है ? इस विषय पर ओडिसा हाई कोर्ट ने Jyoti Construction v. Deputy Commissioner of CT & GST, Barbil Circle, Jajpur and another के case में इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। ओडिसा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का विवरण इस प्रकार है :-

इस केस में assessee Works contract सर्विस देता है किसी केस के सिलसिले में deputy commissioner ने Show Cause Notice issue करके demand raise की और assessee के विरुद्ध फैसला सुनाया गया। इस आर्डर के विरुद्ध assessee ने Commissioner appeal के समक्ष अपील दायर की और उसमे अपील फाइल करते समय दिए जाने वाला 10% Pre- Deposit का payment उन्होंने अपने Electronic Credit Ledger से किया। Department के हिसाब से Pre- Deposit का पेमेंट उन्हें Electronic Cash ledger से करना था इसलिए उन्होंने assessee को Show Cause Notice issue इस ग्राउंड पर किया की सेक्शन 49 (3) read with rule 85 (4) के अनुसार assessee को Pre-Deposit का payment Electronic credit ledger की जगह Electronic cash ledger से करना चाहिए और ऐसा न करने पर उनकी अपील reject क्यों न की जाये ?

इसके विरुद्ध assessee ने ओडिसा हाई कोर्ट में writ petition फाइल की और उसमे उन्होंने यह दलील दी कि Section 2 (82) of CGST Act में दी गयी Output Tax की definition के अनुसार कोई भी assessee गुड्स और सर्विस या दोनों सप्लाई करता है तो उसे Taxable Supply कहा जायेगा परन्तु उसमे reverse charge शामिल नहीं होगा अतः उनके अनुसार assessee ने जो भी pre - Deposit का पेमेंट किया है वो output tax का ही एक percentage है और उन्होंने जो पेमेंट किया है वो सही है और उसे electronic credit ledger से किया जा सकता है।

जब की डिपार्टमेंट ने यह दलील दी की Section 41 (2) में यह limit दी गयी है की electronic credit ledger को कहाँ use किया जा सकता है और सेक्शन 107 (6) of CGST Act में अपील फाइल करने के लिए किये जाने वाले pre -Deposit का भुगतान करने के लिए electronic credit ledger को use नहीं किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में कहा की Appellate authority ने जो decision लिया है वो सही है और डिपार्टमेंट ने जो भी दलील दी है वो सही है अतः अपील फाइल करने के लिए जो pre -Deposit का भुगतान करना होता है उसके लिए electronic credit ledger को use नहीं किया जा सकता है, उसके लिए electronic Cash ledger से ही पेमेंट करना अनिवार्य है।

परंतु इस मुद्दे पर पुराने Central Excise और Service tax regime मैं भी बहुत सारे verdicts आ चुके हैं जिसमें कहा गया है कि अपील करने के लिए जमा कराया जाने वाला pre-deposit से किया जा सकता है। बहुत सारे GST experts कभी मत है कि pre-deposit का भुगतान GST electronic credit ledger से किया जा सकता है क्योंकि GST payment चाहे cash में किया जा सकता है या फिर credit से किया जा सकता है। अतः इस मुद्दे पर आगे भी litigation होने वाला है।